उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–25/2023–24

सरकार

बनाम्

जयकांत यादव वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक 11/8/23

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला महागामा थाना काण्ड संख्या–46/2023 दिनांक–04.03.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–1933/अप0शा0 दिनांक–26.04.2023 से धारा–379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4416, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा सहयोगी बोलेरो वाहन निबंधन संख्या–JH17E-0775 एवं उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4416, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा सहयोगी बोलेरो वाहन निबंधन संख्या–JH17E-0775, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4416, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा सहयोगी बोलेरो वाहन निबंधन संख्या–JH17E-0775, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17D-4416, ट्रेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं के मालिक जयकान्त

[redacted]

संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मुल्य	खनिज का दुगुनी राशि	संलिप्पता के आधार पर अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
JH17P-6762	01	100	4000.00	8000.00	50000.00	58000.00

एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0–JH17P-6762, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
1. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
2. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे बालू को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त, गोड्डा। [signature] 1/10/23

उपायुक्त, गोड्डा। [signature] 1/10/23

समाहरणालय, गोड्डा
जिला विधि शाखा, गोड्डा

ज्ञा० सं०:–175 दि०:–30.10.2023

प्रतिलिपि:– जिला खनन पदा०, गोड्डा/ पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.12.05 12:34:47 +05:30
Location: 192.168.1.37

[signature] प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा
गोड्डा
31/10/23